न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/165/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/495

अपीलार्थी

श्री वीरसिंह पुत्र श्री विजयसिंह,
ग्राम व पोस्ट–खातनखेडा, तहसील–बहरोड
जिला–अलवर (राज.)–301701

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर

प्रवेश तिथि :: 11.11.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 13.12.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने आवेदन–पत्र दिनांकः 26.09.2022 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर छात्रवृत्ति की सहायता राशि दिलाने संबंधी पूर्व प्रा0पत्र दिनांकः 10.08.2022 के संबंध में की गई कार्यवाही संबंधी बिन्दुवार सूचना/दस्तावेजी प्रमाणित प्रति चाही गई थी।
4. प्रत्यर्थी द्वारा उक्त सूचना आवेदन पर किसी प्रकार के विनिश्चय/सूचना से अपीलार्थी को अवगत नहीं कराए जाने के कारण इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत की गई।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. अपील के अनुसरण में प्रत्यर्थी की ओर से अपीलार्थी को सूचना प्रेषित करते हुए प्रति जरिये पत्र सं. 2776 दिनांकः 24.11.22 इस न्यायालय को भी पृष्ठांकित की गई।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् व अपील में उठाये गये तथ्यों का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 26.09.2022 के परिप्रेक्ष्य में अधिनियम में विहित समयावधि में ही वांछित सूचना के संबंध में पत्र सं. 2441 दिनांकः 18.10.22 के माध्यम से फोटोप्रति शुल्क रू. 06/– मात्र जमा राजकोष कराने हेतु लिखा गया जो अपीलार्थी द्वारा जमा राजकोष नहीं कराए जाने के कारण सूचना प्रेषित नहीं की जा सकी है।
8. तथापि प्रत्यर्थी द्वारा अपील के अनुक्रम में उनके क्षेत्राधीन उपलब्ध 03 पृष्ठीय सूचना, अपीलार्थी को भिजवाते हुए पत्र सं0 2776 दिनांकः 24.11.22 के माध्यम से प्रति इस न्यायालय को भी पृष्ठांकित की है।
9. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा प्रेषित सूचना उचित एवं पर्याप्त है। अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 13.12.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर (राज.)